

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 495]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 अक्टूबर 2020 — आश्विन 21, शक 1942

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-26/2019/17-दो.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5, एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र./27-2/2011/नौ/17, रायपुर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:-

शीर्षक “नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन” की सारणी के सरल क्रमांक 1 से 3 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

सं. क्र.	कार्यालय/निकाय /अभिकरण का नाम	छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा औषधियों के निर्माण एवं संग्रहण के लिये औषधि अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों को जारी करना	60 दिवस	औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
2	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा औषधियों के निर्माण एवं संग्रहण के लिये औषधि अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण / प्रतिधारण	30 दिवस	औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा युक्ति निर्माण के लिये औषधि अनुज्ञप्ति/ अनुज्ञप्तियों को जारी करना	90 दिवस	राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
4	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा युक्ति निर्माण के लिये औषधि अनुज्ञप्ति/ अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण/प्रतिधारण	30 दिवस	राज्य अनुज्ञापन प्राधिकारी	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
5	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	अभिहित अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्माण/विक्रय/संग्रहण हेतु खाद्य अनुज्ञप्ति जारी किया जाना	60 दिवस	अभिहित अधिकारी	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़
6	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	अभिहित अधिकारियों द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्माण/विक्रय/संग्रहण हेतु खाद्य अनुज्ञप्तियों का नवीनीकरण	30 दिवस	अभिहित अधिकारी	नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़
7	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्माण/विक्रय/संग्रहण हेतु खाद्य अनुज्ञप्तियों का पंजीयन करना	30 दिवस	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	अभिहित अधिकारी	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़
8	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थों के निर्माण/विक्रय/संग्रहण हेतु खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीयन का नवीनीकरण करना	30 दिवस	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	अभिहित अधिकारी	आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 3 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 13-26/2019/17-दो.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 3rd October 2020

NOTIFICATION

No. F 13-26/2019/17-Two.— In exercise of the powers conferred by section 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No./F-27-2/2011/IX/17, Raipur, Dated 31st December, 2011, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of said notification, -

In the Table of Heading "Controller, Food and Drugs Administration" for serial number 1 to 3 and entries relating thereto, the following shall be substituted ; namely :-

S.No.	Name of Officer/Body /Agency	Services to be Provided for Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011	Time Period of Providing Services (working day)	Deginated Officer Providing Service (Post)	Competent Officer	Appellate Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Controller, Foods and Drugs Administration	To Grant drugs License/Licenses for manufacture and storage of Drugs by Drug Licensing Authority	60 Days	Drug Licensing Authority	Controller, Foods and Drugs Administration Chhattisgarh	Secretary, Government of Chhattisgarh, Health and Family Welfare Department
2	Controller, Foods and Drugs Administration	To Renew/Retention drugs License/Licenses for manufacture and storage of Drugs by Drug Licensing Authority	30 Days	Drug Licensing Authority	Controller, Foods and Drugs Administration Chhattisgarh	Secretary, Government of Chhattisgarh, Health and Family Welfare Department
3	Controller, Foods and Drugs Administration	To Grant drugs License/Licenses for manufacture of Medical Device by Licensing Authority	90 Days	State Licensing Authority	Controller, Foods and Drugs Administration Chhattisgarh	Secretary, Government of Chhattisgarh, Health and Family Welfare Department
4	Controller, Foods and Drugs Administration	To Renew/Retention drugs License/Licenses for manufacture of Medical Device by Licensing Authority	30 Days	State Licensing Authority	Controller, Foods and Drugs Administration Chhattisgarh	Secretary, Government of Chhattisgarh, Health and Family Welfare Department
5	Commissioner, Food Safety, Food and Drugs Administration	To Grant Food License for manufacture/Sale/storage of Food products by Designated Officer	60 Days	Designated Officer	Controller, Foods and Drugs Administration Chhattisgarh	Commissioner, Food Safety, Chhattisgarh
6	Commissioner, Food Safety, Food and Drugs Administration	To Renew Food Licenses for manufacture/Sale/storage of Food products by Designated Officer	30 Days	Designated Officer	Controller, Foods and Drugs Administration Chhattisgarh	Commissioner, Food Safety, Chhattisgarh
7	Commissioner, Food Safety, Food and Drugs Administration	To Registration Food License for manufacture/Sale/storage of Food products by Food Safety Officer	30 Days	Food Safety Officer	Designated Officer	Commissioner, Food Safety, Chhattisgarh
8	Commissioner, Food Safety, Food and Drugs Administration	To Renew Registration Food License for manufacture/Sale/storage of Food products by Food Safety Officer	30 Days	Food Safety Officer	Designated Officer	Commissioner, Food Safety, Chhattisgarh

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SURENDRA SINGH BAGHE, Deputy Secretary.